संख्या- 312 /2026/1217/नौ-9-2026-001-ई-1747816

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2026

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद में आधुनिक कारकस प्लान्ट की स्थापना कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-130/2024/2663260/नौ-9-2024-001-ई-1747816, दिनांक 09.02.2024 द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद में आधुनिक कारकस प्लान्ट की स्थापना कार्य हेतु धनराशि रू0 577.94 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 288.97 लाख कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है।

2. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-4704/106(3)/SSCM/2021-22, दिनांक 09.09.2026 के माध्यम से संदर्भगत परियोजना का उपयोगिता प्रमाण-पत्र व अन्य अभिलेख उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 221.57 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद में आधुनिक कारकस प्लान्ट की स्थापना कार्य हेतु अनुबंध/निविदा लागत की धनराशि रू0 510.54 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 221.57 लाख (रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख सत्तावन हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीयकृत बैंक के स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाईन्स, 2019 के दिशा निर्देशों एवं शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरित/व्यय की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(3) शासनादेश संख्या-130/2024/2663260/नौ-9-2024-001-ई-1747816, दिनांक 09.02.2024 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 221.57 लाख (रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
DEVESH MISHRA
Date: 17-09-2026 13:54:25

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 312 /2026/1217/नौ-9-2026-001-ई-1747816, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त, मेरठ।
4. राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
9. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।